न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 153/2017

1. कैलाश पुत्र घीस्या
2. राजू पुत्र घीस्या
3. बाबू पुत्र घीस्या
   जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासीः ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रताप पुत्र शिशपाल
2. मंगला पुत्र शिशपाल
3. जगदीश पुत्र शिशपाल
4. नाथू पुत्र पांचू
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासीः ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारागढ, जिला जयपुर।
6. रामनिवास पुत्र रामूलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम रानियावास, तहसील जमवारामगढ,जिला जयपुर।
7. कन्हैयालाल सैनी पुत्री शंकरलाल सैनी जाति माली, निवासीः ग्राम पीलवा सैंथल, तहसील दौसा, जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद संख्या 40/2014 उनवानी प्रताप व अन्य बनाम कैलाश व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री नन्दसिंह राजावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री प्रकाश चन्द भारती एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 4
श्री बनवारी शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 7
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 16/12/2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर वाद संख्या 40/2014 बउनवानी प्रताप व अन्य बनाम कैलाश व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 16.03.2017 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ में वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 260 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा स्थित है जिसके पूर्व खातेदार वादीगण के हक पूर्वाधिकारी थे। उक्त भूमि में बिरदा के समय से ही संवत् 2008 से 2027 के रिकॉर्ड में घीस्या पुत्र छोटिया एवं लादिया पुत्र झूंथा के नाम से उक्त भूमि रहन दर्ज रही है जिसे 30 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। वर्तमान में भी उक्त भूमि के रिकॉर्ड में घीस्या पुत्र छोटिया एवं लादिया पुत्र झूंथा के नाम मूर्तहीन का अंकन दर्ज है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (4–क) का स्पष्ट प्रावधन है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारंभ की तारीक को विद्यमान कृषि भूमि का बंधक 5 वर्ष की कालावधि से अधिक नहीं होगा। बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा। इस प्रकार धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधाननुसार बंधक की कालावधि की समाप्ति पूर्णरूपेण उन्मोचित हो चुका है और कानूनन बंधकित भूमि मोचित हो चुकी है। कानूनन उक्त बंधक उन्मोचित हो चुका है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी घीस्या पुत्र छोटिया एवं लादिया पुत्र झूंथा के नाम रहन मूर्तहीन दर्ज है जिसका अंकन हटाया जाना आवश्यक है। इस कारण वादीगणं को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 260 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राहिन घीस्या पुत्र छोटिया एवं लादिया पुत्र झूंथा कौम ब्राहम्ण के अंकन को हटाया जाने तथा उनके नाम हजफ किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 16.03.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के हक पूर्वज घीस्या वल्द छोट्या व लाछया वल्द झूंथा के खातेदारी अधिकार के बजाय राहिन इन्द्राज चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वजो द्वारा बकाबिज काश्त मोल मालाकलामशुदा खरीद भूमि है उसके अनुसार खातेदारी इन्द्राज अपीलान्ट्स के हक में किया जाना चाहिये था। उक्त प्रकरण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना साक्ष्य लिये ही अपीलान्ट्स के काउन्टर क्लेम को खारिज करते हुये विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2017 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि वादग्रस्त भूमि निजी रहन में दर्ज थी जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 के तहत् 5 वर्ष से अधिक रहन दर्ज नहीं रखा जा सकता है। वादग्रस्त भूमि को 5 वर्ष से अधिक रहन में दर्ज होने के कारण रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के हक में दर्ज की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् साक्ष्य सबूतो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2017 के माध्यम से स्वीकार कर वादी को खातेदार घोषित करते हुये वाद डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजातं के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नंबर 790 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नंबर 791 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा की खतौनी बंदोबश्त संवत् 2008 से 2027 में बिरदा पुत्र काना राहिन घीस्या पुत्र छोट्या एवं लाद्या पुत्र झूंथा अंकित है जिसे दुरूस्त करवाकर वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का विनिर्दिष्ट रूप से खंडन करते हुये जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि काश्तकारी अधिनियम से पूर्व ही प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा क्रय किये जाने एवं बिरदा पुत्र काना का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से रह जाने जाने के तथ्य वर्णित करते हुये काउन्टर क्लेम में घोषणा का अनुतोष चाहा गया। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर विनिर्दिष्ट रूप से खंडन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को वाद पत्र में विवाद्यक बिन्दु विरचित कर साक्ष्य ली जाकर, वाद का विनिश्चय किया जाना चाहिये था। माननीय राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक 27.09.2016 में भी माननीय राजस्व मंडल द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को काउन्टर क्लेम बाबत विधिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुये निर्णय पारित किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के आदेश की अवहेलना एवं विधिक प्रक्रिया का बिना अनुसरण किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2017 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 1 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् तनकीयात कायम किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था जिसके उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु विचाराधीन रही। आदेशिका दिनांक 06.03.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 11 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् दस्तावेजात् के प्रकटीकरण बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 07.03.2017 को बहस सुनकर वास्ते आदेश के लिये दिनांक 16.03.2017 रिजर्व की गई थी। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.03.2017 में प्रार्थना पत्रों पर कोई भी आदेश/विवेचन किये बिना ही सीधे ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कारित प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली में लंबित ही रह गये जिनका विधिक प्रक्रिया के अनुरूप निस्तारण अंतिम निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अथवा निर्णय के साथ–साथ किया जाना चाहिये था। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

विपरीत एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उपरोक्त विवचेन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2017 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकी विरचित कर, साक्ष्य ली जाकर, पत्रावली में लंबित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान दिनांक 06.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर